AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 20th December,2005

No.HPERC/609-B.- In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section-42 and section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and all other powers enabling it in this behalf the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission after previous publication hereby makes the following regulations further to amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Electricity Ombudsman) Regulations, 2004, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extraordinary), dated 19th April, 2004, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Electricity Ombudsman) (Second Amendment) Regulations, 2005.

   (2)These regulations shall come into force on the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. **Amendment of regulation7.-** At the end of sub-section(1) of regulation 7 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission(Electricity Ombudsman) Regulations,2004 (hereinafter called "the said regulations") the words "or general orders or directions given by the State Government or the Commission in this regard" shall be added.

3. **Amendment of regulation 8.-** In sub-regulation(4) of regulation 8 of the said regulations,-

   (a) in clause (d), for the words "fifty percent", the words "twenty five percent" shall be substituted ; and
   (b) after clause(d), the following clause (e) shall be added, namely:-

      "(e) it is accompanied by a fee of Rs.100/- payable to the Electricity Ombudsman;"

4. **Insertion of regulation 12-A.-** After regulation 12 of the said regulations, the following regulation 12-A shall be inserted, namely:-

“12-A.**Appeal**.- (1)Any person aggrieved by an award made under regulation 12 by the Electricity Ombudsman may, prefer an appeal in Form1-A against such award to the Commission, within a period of forty-five days from the date of the award:

Provided that the Commission may entertain an appeal after the expiry of the said period of forty-five days if it is satisfied that there was sufficient cause for not filing the appeal within that period.

(2) The Memorandum of Appeal shall be signed and verified in the manner specified in Form-1A .

(3) The appeal shall be accompanied by such fee as may be specified in the Schedule to the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2005 and such fee shall be payable to the Commission in the same manner as the fees are payable in relation to the petitions or applications made to the Commission under the said Conduct of Business Regulations.

(4) On receipt of an appeal under sub-regulation(1), the Commission shall, after giving the appellant an opportunity of being heard, dispose of the appeal as expeditiously as possible, and the decision of the Commission shall be final.

(5) Unless otherwise permitted by the Commission, the matters, in relation to which no provision has been made in these regulations, shall be governed by the provisions laid down in the Conduct of Business Regulations of the Commission for submission and processing of the petitions and applications in the Commission.”

5. **Substitution of regulation 14.-** For regulation 14 of the said regulations the following regulation shall be substituted, namely:-

“14. **Periodical Statements.-** (1)- The Electricity Ombudsman shall prepare in Form-2 a statement on six monthly basis giving--

(a) details of the nature of the grievances of the consumers dealt by the Electricity Ombudsman;

(b) the response of the licensees in the redressal of the grievances;

(c) and the opinion of the Electricity Ombudsman on the licensee's compliance of the standards of performance as specified by the Commission under section 57 of the Act during the preceding six months.

(2) The statement under sub-regulation(1) shall be forwarded to the Commission and the State Government within 45 days after the end of the relevant period of six months".

6. **Insertion of Form 1-A.-** After existing Form-1 to the said regulations, the following Form 1-A shall be inserted, namely:-

"FORM-1-A
(see regulation 12-A)

APPEAL BEFORE THE HIMACHAL PRADESH
ELECTRICITY REGULATION COMMISSION
SHIMLA

{(under regulation 12-A of the HPERC (Electricity Ombudsman) Regulations,2004}

BETWEEN

1. ________________________________

2. ________________________________

Appellant
(Full address of the Consumer)

AND

1. ________________________________

2. ________________________________

Respondent
(Full address of the Licensee)

Appeal under regulation 12-A of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Electricity Ombudsman) Regulations, 2004. Aggrieved by the final order No.: _______ of 200 _________ which was received by the Appellant on ________, the Appellant above named begs to present this Memorandum of Appeal on the following grounds:-

GROUNDS

1.

2.

3.

(State the grounds of the case on which the appeal is filed and why the final order is unsustainable)

The fee of Rs. _________is paid by cash/demand draft bearing no. ___________ dated ________.

The final order was not passed with the consent as per regulation 11 of the HPERC (Electricity Ombudsman) Regulations, 2004.

PRAYER

It is, therefore, prayed that ___________________________________ _______________________________________.

Name and Signature of the Appellant

VERIFICATION

I _______________ declare that what is stated in all the above paragraphs is true to the best of my knowledge and information and I believe it to be correct.

Verified and signed at __________ on ____________.
(place) (date)

Name and Signature of the Appellant

List of Enclosures:

1. True copy of the order of the Electricity Ombudsman
2. Reference of disposition of fee
3. _________________________"
4. _________________________

7. **Amendment of Form-2:** In Form-2 of the said regulations for the word "QUARTER" or "quarter" wherever it occurs, the words" PERIOD OF SIX MONTHS" or "period of six months" shall be substituted.

8. **Amendments in the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2005.-** In the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2005.-

(i) in sub-regulation (1) of regulation 58, after the words and sign "Every petition,", the word and sign "appeal," shall be inserted;

(ii) in regulation 59, the following item (6) shall be added, namely;

"(6) appeals against the awards made by the Electricity Ombudsman".;and

(iii) in the Schedule, the following item 13-A shall be inserted, namely.-

"13-A	Appeal against the award of the Electricity Ombudsman	Regulation 12-A of the HPERC(Electricity Ombudsman) Regulations, 2004	Rs.100/-

By order of the Commission
Sd/-
Secretary.

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग शिमला

अधिसूचना

शिमला–171002, 20 दिसम्बर, 2005

संख्याः एच0पी0ई0आर0सी0/609-B.– विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 42 की उपधारा (7) तथा धारा 181 के साथ पठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सशक्त करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, दिनांक 19 अप्रैल, 2004 के अंक में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग(विद्युत ओम्बुडसमैन) विनियम, 2004 में और संशोधन करने हेतू निम्नलिखित विनियम बनाता है :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**– **(**1**)** इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत ओम्बुडसमैन) **(**द्वितीय सं" ाोधन**)** विनियम, 2005 है।

   (2**).** ये विनियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. **विनियम 7 का संशोधन.**– हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग **(**विद्युत ओम्बुडसमैन**)** विनियम, 2004 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''उक्त विनियम'' कहा गया है) के विनियम 7 के उप–विनियम (1) में आए शब्द ''नियमों या विनियमों'' के प" चात् भाब्द '' अथवा सरकार या आयोग द्वारा दिये गये सामान्य आदे" ाों अथवा निर्दे" ाों'' जोड़े जायेंगे ।

3. **विनियम 8 का संशोधन.**– उक्त विनियमों के विनियम 8 के उप–विनियम (4) में ,-

   (क) खण्ड (घ) में आए भाब्द, अंक तथा कोश्ठक ''पचास प्रति" ात (50 प्रति" ात)'' के स्थान पर भाब्द, अंक तथा कोश्ठक ''पच्चीस प्रति" ात (25 प्रति" ात)'' प्रतिस्थापित किए जायेंगे; तथा

   (ख) सं" ाोधित खण्ड (घ) के पश्चात् निम्न खण्ड (ङ) जोड़ा जाएगा, नामत् :–

   > ''(ङ) इस के साथ विद्युत ओम्बुडसमैन को देय 100 रूपये की फीस अदा न की गई हो।"

4. **विनियम 12–क का अन्तः स्थापन.**–उक्त विनियमों के विनियम 12 के प" चात निम्नलिखित विनियम 12-क अन्तः स्थापित किया जायेगा, नामत् :–

"12-क. अपील.–(1) कोई भी व्यक्ति जो विनियम 12 के अर्न्तगत विद्युत ओम्बडसमैन के अधिनिर्णय (पंचाट) के कारण व्यथित है, अधिनिर्णय (पंचाट) देने के पैंतालीस दिन के भीत्तर प्ररूप 1–क पर आयोग के पास अपील दायर कर सकता हैः

परन्तु आयोग यदि सन्तुष्ट है कि नियत कालावधि के भीत्तर अपील दायर न कर सकने के पर्याप्त कारण विद्यमान है, तो आयोग उक्त पंचतालिस दिन की अवधि बीतने पर भी अपील प्राप्त कर सकेगा ।

(2) अपील का ज्ञापन प्ररूप–1 क में विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार सत्यापित व हस्ताक्षरित किया जायेगा ।

(3) अपील हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कारवार संचालन) विनियम, 2005 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के साथ दायर की जाएगी और आयोग को उक्त फीस की अदायगी उसी रीति से की जाएगी जैसे कि आयोग के समक्ष दाखिल की जाने वाली याचिकाओं व आवेदनों के बारे में, कारबार संचालन विनियमों के अधीन अदा की जाती है ।

(4) आयोग, उप–विनियम (1) के अर्न्तगत अपील प्राप्त करने पर, अपीलार्थी को सुनाई का अवसर देने के पश्चात् अपील यथासंभव शीघ्र निपटाएगा तथा उस पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा ।

(5) जब तक आयोग द्वारा अन्यथा अनुज्ञात न हो, उन मामलों में, जिनके बारे में इन विनियमों में कोई उपबन्ध नहीं है, आयोग द्वारा कारवार संचालन विनियमों में अधिकथित याचिकाओं तथा आवेदनों के दाखित करने तथा उन पर कार्रवाई करने वाले उपबन्ध लागू होंगे ।

5. **विनियम 14 का प्रतिस्थापन.**– उक्त विनियमों के विनियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत्ः–

"14. कालिक कथन.– .–(1) विद्युत ओम्बुडसमैन –

(क) अपने द्वारा निपटाए जाने वाली शिकायतों की प्रवृति,

(ख) शिकायतों के निवारण में अनुज्ञाप्तिधारी के प्रत्युत्तर; और

(ग) पिछले छः महीनों के दौरान अधिनियम की धारा 57 के अधीन आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कार्य निष्पादन के मानकों का अनुज्ञाप्तिधारी के अनुपालन पर विद्युत ओम्बुडसमैन की राय;

का ब्यौरा देते हुए छः माही के आधार पर प्ररूप–2 पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा ।

(2) उप–विनियम (1) के अधीन रिपोर्ट छः महीने की संगत अवधि की समाप्ति के बाद 45 दिनों के भीत्तर आयोग और राज्य सरकार को अग्रेषित की जाएगी ।"

6. **प्ररूप 1–क का अन्तःस्थापन.**– विनियमों में विद्यमान प्ररूप–1 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप 1–क अन्तःस्थापित किया जायेगा, नामत्ः–

प्ररूप –1–क
(विनियम 12–क देखें)

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत ओम्बुडसमैन) विनियम, 2004 के विनियम 12–क के अधीन, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष अपील

के मध्य

1. ....

2. ....

अपीलार्थी

(उपभोक्ता का पूरा पता)

एवं

उत्तरदाता

(अनुज्ञाप्तिधारी का पूरा पता)

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक
(विद्युत ओम्बुडसमैन) विनियम, 2004
के विनियम 12–क के अन्तर्गत अपील

विद्युत ओम्बुडसमैन के अन्तिम अधिनिर्णय (पंचाट) क्र0संख्या .... वर्ष .... 200 .... जो अपीलार्थी को .... को प्राप्त हुआ से व्यथित होकर उपरोक्त नामित अपीलार्थी निम्न आधारों पर अपील ज्ञापन प्रस्तुत करने हेतू निवेदन करता है .–

आधार

1.
2.
3.

(प्रकरण के आधार दीजिए जिनके आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है तथा कारण बताईये कि अन्तिम आदेश कायम रखने योग्य नहीं हैं)

अपील शुल्क रूपये.................. /नगद/डिमाण्ड ड्राफट क्रं............. दिनांक .... द्वारा जमा करा दिया गया है । भुगतान का प्रमाण संलग्न है ।

अन्तिम अधिनिर्णय (पंचाट) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत ओम्बुडसमैन) विनियम, 2004 के विनियम 11 के अन्तर्गत दोनो पक्षकारों की सहमति से नही दिया गया था।

प्रार्थना

प्रार्थना है कि ....

(अपीलार्थी का नाम एवं हस्ताक्षर)

सत्यापन

मैं... घोषित करता हूं कि उपयुक्त पैराओं (कंडिकाओं) में जो कुछ कहा गया है वह मेरे सर्वोतम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सत्य है तथा मैं उसकी सत्यता पर विश्वास करता हूं ।

यह आज की तारीख को ....पर सत्यापित एवं हस्ताक्षरित किया गया ।

(अपीलार्थी का नाम एवं हस्ताक्षर)

स्थानः
दिनांकः

अनुलग्नकों की सूचीः

1. विद्युत ओम्बुडसमैन के अधिनिर्णय (पंचाट) की अधिप्रमाणित प्रति
2. शुल्क जमा कराने का सन्दर्भ
3. ....

7. प्ररूप 2 का संशोधन.– उक्त विनियमों के प्ररूप–2 में शब्द "तिमाही" तथा "तीन माह" यहां कहीं भी आए हो के स्थान पर शब्द "छः माही" तथा "छः माह" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

8. हिमाचल प्रदेश विनियामक आयोग (कारवार संचालन) विनियम, 2005 में संशोधन.– हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कारवार संचालन) विनियम, 2005 में–

(i) विनियम 58 के उप–विनियम (1) में शब्द व चिन्ह "प्रत्येक याचिका,", के पश्चात् शब्द व चिन्ह "अपील,", अन्तः स्थापित किए जाएंगे;

(ii) विनियम 59 में निम्नलिखित मद (6) जोड़ी जाएगी, नामत् :–
"(6) विद्युत ओम्बुडसमैन के अधिनिर्णय (पंचाट) के विरूद्ध अपील ।" तथा

(iii) अनुसूची में निम्नलिखित मद 13–क जोड़ी जाएगी, नामत् :–

13–क	विद्युत ओम्बुडसमैन के अधिनिर्णय (पंचाट) के विरूद्ध अपील में	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत ओम्बुडसमैन) विनियम, 2004 विनियम 12–क	रूपये 100/-

आयोग द्वारा आदेशित

सचिव